

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में  
सी०एम०पी० संख्या-262 / 2019

उज्ज्वल कुमार

..... याचिकाकर्ता (एस)

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी गण

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन  
**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता  
राज्य के लिए :- श्री सौम्या एस० पांडे, ए०ए०जी०-I के ए०सी०  
विपक्षी पार्टी सं० 2 से 6 के लिए : श्री राजेश लाला, अधिवक्ता

03/10.12.2021 यह सी०एम०पी०, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-5108/2018 के पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे दिनांक 04.02.2019 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर आदेश का पालन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सिविल विविध याचिका में कारणों को बताया गया है। याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही रिट याचिका को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

उनके निवेदनों पर विचार करते हुए रिट याचिका सं०-5108/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

(आनंदा सेन, न्याया०)